उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सरकार
बनाम
महाबीर साहु

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **05/2020–21**

वाद का प्रकार :– अधिहरण (Confiscation)

पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक – 823/अ0 दिनांक – 29.04.2020 द्वारा श्री सिद्वनाथ सिंह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला स्थायी पता– ग्राम– मठियापुर थाना– पालीगंज जिला–पटना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त महाबीर साहु अनुज्ञप्ति संख्या 05/89 ग्राम–करौन्दी थाना– गुमला जिला– गुमला के विरूद्ध अन्तोदय एवं बी0पी0 एल0 खाद्यान का निर्धारित मात्रा में वितरण नहीं कर कालाबजारी करने के आरोप में गुमला थाना कांड संख्या 118/12 दिनांक 04.05.2012 धारा–7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् जप्त सामग्री 04 क्विंटल चावल एवं 584 लीटर किरासन तेल को राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी इस वाद में लम्बे अवधि से अनुपस्थित पाये गये जिसके कारण उनका पक्ष को नहीं सुना गया और न ही कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के तहत् जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को निदेशित किया जाता है कि जप्त सामग्री जो perishable Nature की है को बाजार समिति अनुमोदित दर पर वितरण कराकर वितरणोपरान्त संग्रहित राशि को नजारत में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे, तथा संबंधित दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे।

आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

30.12.22
उपायुक्त,
गुमला

30.12.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.01.25 18:35:39 +05:30
Location: 192.168.5.111

Scanned with OKEN Scanner